

सूरह तलाक - 65



सूरह तलाक के संक्षिप्त विषय

यह सूरह मदनी है, इस में 12 आयतें हैं।

- इस सूरह में तलाक के नियम और आदेश बताये गये हैं। और मुसलमानों को चेतावनी दी गई है कि अल्लाह के आदेशों से मुँह न फेरें। और अवैज्ञाकारी जातियों के परिणाम को याद रखें। दूसरे शब्दों में इस्लाम के परिवारिक नियमों का पालन करें।
- «इद्दत» उस निश्चित अवधि का नाम है जिस के भीतर स्त्री के लिये तलाक या पति की मौत के पश्चात् दूसरे से विवाह करना अवैध और वर्जित होता है। तलाक के मूल नियम सूरह बकरा तथा सूरह अहज़ाब में वर्णित हुये हैं। इस आयत में तलाक देने का समय बताया गया है कि तलाक ऐसे समय में दी जाये जब इद्दत का आरंभ हो सके। अर्थात् मासिक धर्म की स्थिति में तलाक न दी जाये। और मासिक धर्म से पवित्र होने पर संभोग न किया गया हो तब तलाक दी जाये। «इद्दत के समय» से अभिप्राय यहाँ यही है। फिर यदि «तलाक रजई» दी हो तो निर्धारित अवधि पूरी होने तक वह अपने पति के घर ही में रहेगी। परन्तु यदि व्यभिचार कर जाये तो उसे घर से निकाला जा सकता है। नई बात उत्पन्न करने का अर्थ यह है कि अवधि के भीतर पति अपनी पत्नी को वापिस कर ले जिसे «रजअत» करना कहा जाता है। और यह बात «रजई तलाक» में ही होती है। अर्थात् जब एक या दो तलाक ही दी हों। इस में यह संकेत भी है कि यदि पति तीन तलाक दे चुका हो जिस के पश्चात् पति को रजअत का अधिकार नहीं होता तो पत्नी को भी उस के घर में रहने का अधिकार नहीं रह जाता। और न पति पर इस अवधि में उस के खाने-कपड़े का भार होता है।

अल्लाह के नाम से जो अत्यन्त
कृपाशील तथा दयावान् है।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. हे नबी! जब तुम लोग तलाक दो
अपनी पत्नियों को तो उन्हें तलाक

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

दो उन की «इद्त» के लिये, और गणना करो «इद्त» की। तथा डरो अपने पालनहार, अल्लाह से। और न निकालो उन को उन के घरों से, और न वह स्वयं निकलें परन्तु यह कि वह कोई खुली बुराई कर जायें। तथा यह अल्लाह की सीमायें हैं। और जो उल्लंघन करेगा अल्लाह की सीमाओं का तो उस ने अत्याचार कर लिया अपने ऊपर। तुम नहीं जानते संभवतः अल्लाह कोई नई बात उत्पन्न कर दे इस के पश्चात्।

2. फिर जब पहुँचने लगें अपने निर्धारित अवधि को तो उन्हें रोक लो नियमानुसार अथवा अलग कर दो नियमानुसार।^[1] और गवाह (साक्षी) बनालो^[2] अपने में से दो न्यायकारियों को। तथा सीधी गवाही दो अल्लाह के^[3] लिये। इस की शिक्षा दी जा रही है उसे जो ईमान रखता हो अल्लाह तथा अन्त-दिवस (प्रलय) पर। और जो कोई डरता हो अल्लाह से तो वह बना देगा उस के लिये कोई निकलने का उपाय।
3. और उस को जीविका प्रदान करेगा उस स्थान से जिस का उसे अनुमान (भी) न हो। तथा जो अल्लाह पर निर्भर रहेगा तो वही उसे पर्याप्त है। निश्चय अल्लाह अपना कार्य पूरा कर

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوا مِنْ بُيُوتِهِمْ وَلَا يَخْرُجُوا إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَبِذَلِكَ حَدُّوهُ وَاللَّهُ فَقْدًا ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

وَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ مِنْ قَامِسُوكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ قَارِقُوكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهُدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤْخِطُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ تَدْرًا ۝

1 अर्थात् तलाक तथा रज्अत पर।

2 यदि एक या दो तलाक दी हो। (देखिये: सूरह बकरा, आयत: 229)

3 अर्थात् निष्पक्ष हो कर।

के रहेगा।^[1] अल्लाह ने प्रत्येक वस्तु के लिये एक अनुमान (समय) नियत कर रखा है।

4. तथा जो निराश^[2] हो जाती है मासिक धर्म से तुम्हारी स्त्रियों में से यदि तुम्हें संदेह हो तो उन की निर्धारित अवधि तीन मास है। तथा उन की जिन्हें मासिक धर्म न आता हो। और गर्भवती स्त्रियों की निर्धारित अवधि यह है कि प्रसव हो जाये। तथा जो अल्लाह से डरेगा वह उस के लिये उस का कार्य सरल कर देगा।

5. यह अल्लाह का आदेश है जिसे उतारा है तुम्हारी ओर, अतः जो अल्लाह से डरेगा^[3] वह क्षमा कर देगा उस से उस के दोषों को तथा प्रदान करेगा उसे बड़ा प्रतिफल।

6. और उन को (निर्धारित अवधि में)

وَالَّذِي يَسْتَمِنُ مِنَ الْمَحْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَئِكَ الْأَحْصَاءُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْنَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ سَبِيلًا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۝

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

- 1 अर्थात् जो दुःख तथा सुख भाग्य में अल्लाह ने लिखा है वह अपने समय में अवश्य पूरा होगा।

- 2 निश्चित अवधि से अभिप्राय वह अवधि है जिस के भीतर कोई स्त्री तलाक पाने के पश्चात् दूसरा विवाह नहीं कर सकती। और यह अवधि उस स्त्री के लिये जिसे दीर्घायु अथवा अल्पायु होने के कारण मासिक धर्म न आये तीन मास तथा गर्भवती के लिये प्रसव है। और मासिक धर्म आने की स्थिति में तीन मासिक धर्म पूरा होना है।

हदीस में है कि सुबैआ असलमिय्या (रज़ियल्लाहु अन्हा) के पति मारे गये तो वह गर्भवती थी। फिर चालीस दिन बाद उस ने शिशु जन्म दिया। और जब उस की मंगनी हुई तो नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उसे विवाह दिया। (सहीह बुखारी: 4909)

पति की मौत पर चार महीना दस दिन की अवधि उस के लिये है जो गर्भवती न हो। (देखिये: सूरह बकरा, आयत: 226)

- 3 अर्थात् उस के आदेश का पालन करेगा।

रखो जहाँ तुम रहते हो अपनी शक्ति अनुसार। और उन्हें हानि न पहुँचाओ उन्हें तंग करने के लिये। और यदि वह गर्भवती हों तो उन पर खर्च करो यहाँ तक की प्रसव हो जाये। फिर यदि दूध पिलायें तुम्हारे (शिशु) लिये तो उन्हें उन का परिश्रामिक दो। और विचार-विमर्श कर लो आपस में उचित रूप^[1] से। और यदि तुम दोनों में तनाव हो जाये तो दूध पिलायेगी उस को कोई दूसरी स्त्री।

7. चाहिये की सम्पन्न (सुखी) खर्च दे अपनी कमाई के अनुसार, और तंग हो जिस पर उस की जीविका तो चाहिये कि खर्च दे उस में से जो दिया है उस को अल्लाह ने। अल्लाह भार नहीं रखता किसी प्राणी पर परन्तु उतना ही जो उसे दिया है। शीघ्र ही कर देगा अल्लाह तंगी के पश्चात् सुविधा।
8. कितनी बस्तियाँ^[2] थी जिन के वासियों ने अवैज्ञा की अपने पालनहार और उस के रसूलों के आदेश की, तो हम ने हिसाब ले लिया उन का कड़ा हिसाब, और उन्हें यातना दी बुरी यातना।
9. तो उस ने चख लिया अपने कर्म का दुष्परिणाम और उन का कार्य-परिणाम विनाश ही रहा।
10. तय्यार कर रखी है अल्लाह ने उन

وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَيْتُكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسِرُّعُكُمْ لَهُ أُخْرَى ۝

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيَتَّقِ اللَّهَ إِلَهَهُ لَا يَخْلِفْ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا مَا اتَّهَمَهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ غُيُوبِهِ ۝

وَكَايْنٍ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرَسُولِهِ فَأَخَذْنَا
حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّ بِنَهَا عَذَابًا نُّكَرًا ۝

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۝

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي

1 अर्थात् परिश्रामिक के विषय में।

2 यहाँ से अल्लाह की अवैज्ञा के दुष्परिणाम से सावधान किया जा रहा है।

के लिये भीषण यातना। अतः अल्लाह से डरो, हे समझ वालो, जो ईमान लाये हो! निःसंदेह अल्लाह ने उतार दी है तुम्हारी ओर एक शिक्षा।

11. (अर्थात्) एक रसूल^[1] जो पढ़ कर सुनाते हैं तुम को अल्लाह की खुली आयतें ताकि वह निकाले उन को जो ईमान लाये तथा सदाचार किये अन्धकारों से प्रकाश की ओर। और जो ईमान लाये तथा सदाचार करेगा वह उसे प्रवेश देगा ऐसे स्वर्गों में प्रवाहित है जिन में नहरें, वह सदावासी होंगे उन में। अल्लाह ने उस के लिये उत्तम जीविका तैयार कर रखी है।

12. अल्लाह वह है जिस ने उत्पन्न किये सात आकाश तथा धरती में से उन्हीं के समान। वह उतारता है आदेश उन के बीच, ताकि तुम विश्वास करो कि अल्लाह जो कुछ चाहे कर सकता है। और यह की अल्लाह ने घेर रखा है प्रत्येक वस्तु को अपने ज्ञान की पतिधि में।

الْكِتَابِۙ ؕ الَّذِيۙنَ اٰمَنُوْۤا قَدْ اُنْزِلَ اِلَيْهِمُ الْبَيِّنٰتُۙ وَذُكِّرَۙ

رَسُوْلًاۙ يُّنۡزِلُوْۤا عَلَیْهِمُ اٰیٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍۙ لِّمُخَوِّرِ الَّذِيۙنَ اٰمَنُوْۤا وَّعَلُوْا الصّٰلِحٰتِۙ مِنَ الظّٰلِمٰتِۙ اِلَى التّٰوۤرَةِۙ وَمَنْ یُّؤْمِنۡ بِاللّٰهِ وَیَعْمَلۡ صَالِحًاۙ یُحْدِثۡ خَلۡعًاۙ جَدِّتۡ یَجۡزِیۡ مِنْ نَّعۡیۡهَا الَّذِیۡنَ خَلَدُوْۤا فِیۡهَاۙ اَبۡدًاۙ قَدْ اَحۡسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزۡقًاۙ ۝

اللّٰهُ الَّذِیۡ خَلَقَ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍۙ وَمِنَ الْاَرۡضِۙ مِثۡلَهُنَّۙ یَنۡزِلُ الْاَمۡرَۙ بَیۡنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَیۡءٍ عِلۡمًاۙ ۝

1 अर्थात् मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को। अंधकारों से अभिप्रायः कुफ़्र, तथा प्रकाश से अभिप्रायः इमान है।